

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगाहें

आइए हम मिल कर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं



पार व पुकारों पर कठारा पात्र रखें



सार्वजनिक सभ्यताओं को धोकर, डैनर, पाल धोकर सजाकर बदला न करें



कूड़े को कचरा पात्र में डालें



व्यक्तिगत शौचालयों को कहीं अलविदा प्रयोग करें लुट का शैला कागज, कपड़े का शैला

हमारा संकल्प - स्वच्छ प्रदेश

हमारा ध्येय - हरा-भरा प्रदेश

हमने पाया - सुन्दर प्रदेश

हम हैं स्वच्छता के सजा प्रहरी - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार




राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगाहें आइए हम मिल कर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- सार्वजनिक पाकों/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- घर के आंगन/घोड़ का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।
- निर्माण का मलबा द निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारु रूप से करने में सहयोग करें।

- गली मोहल्ले में ट्रयल लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- दिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट न करें।
- सार्वजनिक सम्पत्तियों को पोस्ट, बैनर, बाल पीटिंग लगाकर बर्बरता न करें।
- राजस्थान सम्पत्ति विरुणण विचारक अधिनियम 2007 के तहत शहरी क्षेत्र में 'सम्पत्ति' का 'विरुणण' संज्ञित अपराध है।
- प्लास्टिक थैलियों को कहेँ अलविदा। जूट, कागज, कपड़े का थैला प्रयोग करें।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना कानूनन अपराध है।





हम हैं स्वच्छता के राजा पहली- स्थायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगाहें


आइए हम मिल कर अपने प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पorch का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।

गर कोश और
संकल्प के साथ
अपने घर-कॉलोनी से
कई सुझाव




हम हैं स्वच्छता के राजा प्रहरी - स्वचायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार



सभ्य नागरिक की यह पहचान - रखें साफाई का पूरा ध्यान गंदगी और अतिक्रमण करने पर जुर्माना कब हो सकता है जुर्माना

मकान में रहने वालों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर	दुकानदारों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर केरिंग चार्जिंग	मकान के गंदे पानी का निकास सड़क पर करने पर	पालतू जानवरों द्वारा गंदगी फैलाने पर
ग्राइवेट अस्पताल द्वारा आम रास्तों व सड़क पर गंदगी फैलाने पर	सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बाधा बलाकार गंदगी फैलाने पर केरिंग चार्जिंग के कचरे में	मॉल की दुकान की गंदगी सड़क व आम रास्तों में खालकर गंदगी फैलाने पर	निजी इन्वेंटरी द्वारा निर्माण सामग्री व मलबा सरकारी भूमि पर खालने पर
बिना सक्षम स्वीकृती के रोडकट करने पर	व्यवसायियों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर	निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री खालने पर	



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगाहें आइए हम मिल कर अपने प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- सार्वजनिक पाकों/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर न डालें।
- निर्माण का मलबा न निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारु रूप से करने में सहयोग करें।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना कानूनन अपराध है।



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन कबा कूड़े बहिष्कार




पॉलीथीन की सरसी थैली, पर्यावरण को कहरती भैली

अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले / थैलियों का उपयोग करें।

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी





पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का करें बहिष्कार

पॉलीथीन की सस्ती थैली, पर्यावरण को करती मैली

अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग- स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का कर्ने बहिष्कार पॉलीथीन की सस्ती थैली,




पर्यावरण को करती भैली

अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।

आइये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग-स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी





पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथिन का करें बहिष्कार


पॉलीथिन की सस्ती थैली, पर्यावरण को करती मैली

अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।

आईये अपने रोजमरां जीवन में पॉलीथिन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी





आइए हम मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाएं नए जोश और संकल्प के साथ अपने घर-कॉलोनी से करें शुरुआत

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्व का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्को में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारु रूप से करने में सहयोग करें।

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी - स्वचायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का करें बहिष्कार

पॉलीथीन की सरस्ती थैली,

पर्यावरण को करती बैली

अपील


कपड़े, जूट एवं कागज के


थैले/थैलियों का उपयोग करें।



आइये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।

पर्यावरण विभाग - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी





पोस्टर बैनर लगाकर, अपने शहर का स्वरूप न बिगाड़े

“सभ्यता का विजयण” संजीव झुपड़पथ है

प्रथम अपराध पर एक वर्ष तक का कारावास | द्वितीय अपराध पर 2 वर्ष तक का कारावास
या 5 से 10 हजार रु. तक जुर्माना अथवा दोनों। | या 10 से 20 हजार रु. तक जुर्माना अथवा दोनों।
कृपया ध्यान दें-वॉल पेन्टिंग करवाने वाली संस्था, एजेंट एवं पेन्टर भी इसमें दोषी होंगे।

सभ्य नागरिक बनें

हम हैं स्वच्छता के सजाग प्रहरी - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीथीन का करें बहिष्कार


पॉलीथीन की सस्ती थैली,

पर्यावरण को कहरती बैली

अपील


कपड़े, जूट एवं कागज के

थैले / थैलियों का उपयोग करें ।



आइये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें ।

पर्यावरण विभाग- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में जारी



ठेस कचरा प्रबन्धन उपविधियां-2005 लागू

गन्दगी और अतिक्रमण करने पर 100 रु. से 2500 रु. तक जुर्माना


शावधान - कब हो सकता है जुर्माना

माँस की दुकान की गन्दगी सड़क व आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1000/- रूपये प्रतिदिन
प्राइवेट अस्पताल द्वारा आम रास्ते व सड़क पर गन्दगी फैलाने पर	500/- रूपये प्रतिदिन
मकानवासियों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर	100/- रूपये प्रतिदिन
निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री डालने पर	200/- रूपये प्रतिदिन
दुकानदारों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर केरिंग चार्ज	250/- रूपये प्रतिदिन
मकान के गंदे पानी का निकास सड़क पर करने पर	100/- रूपये प्रतिदिन
पालतू जानवरों द्वारा गन्दगी फैलाने पर	200/- रूपये प्रतिदिन
बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट करने पर	500/- रूपये प्रतिदिन
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर केरिंग चार्ज के रूप में	100/- रूपये प्रतिदिन
निजी टेक्टरो द्वारा निर्माण सामग्री व मलबा सरकारी भूमि पर डालने पर	200/- रूपये प्रतिदिन
व्यवसायियों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर	2500/- रूपये प्रतिदिन

इस है स्पष्टता के सजग प्रहरी- स्थायत शासज विभाज, राजस्थान सरकार




मेरा राजस्थान मेरी शान इसकी सुन्दरता है पहचान




शान्ति धरा से प्राप्त विभाग, स्वच्छता से देश को स्वच्छ
भारत में बदली न फैलाए, बुरे सामग्री औरत को भी सम्भारें

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में
निधारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्य का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- साफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारु रूप से करने में सहयोग करें।



स्वच्छ राजस्थान,
सुन्दर राजस्थान



एक कदम स्वच्छता की ओर

हमारा संकल्प
स्वच्छ जयपुर

हमारा ड्येव
हरा-भरा जयपुर

हमने पाया
सुन्दर जयपुर

हम हैं स्वच्छता के सजा प्रहरी - स्वायत्त शासन विभावा, राजस्थान सरकार

स्वच्छता अपनाएं-राजस्थान की शान बढ़ाएं-सभ्य नागरिक कहलाएं


- ◆ अपने घर/भवन की स्वच्छता सुनिश्चित करें एवं कचरा मलबा निर्धारित स्थान पर डालें
- ◆ अपने घर/दुकान/कार्यालय में कचरा पात्र रखें
- ◆ सार्वजनिक सौचालय/पूत्रालय साफ रखें
- ◆ बस स्टैंड /रेल्वे स्टेशनों पर/विद्यालयों/अस्पतालों/सड़कों/गलियों/पाकों/बाजारों/सार्व स्थानों/एतिहासिक धरोहरों आदि को साफ रखने में सहयोग दें
- ◆ सार्वजनिक स्थानों से कचरा-मलबा व पुराने अनुपयोगी वाहन हटाएं
- ◆ माहल्ला समिति /विकास समिति आदि की बैठक आयोजित कर स्वच्छता के प्रति सजग रहें व बच्चों को भी स्वच्छता का महत्व समझाएं
- ◆ हर नागरिक प्रतिवर्ष 100 घंटे यानि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनें

वाली सड़क या घर-आंगन, स्वच्छता बने जन-आन्दोलन

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- स्वच्छता शारदा विभाग, राजस्थान सरकार




क्या आप इसे
अपने ड्रॉइंग रूम में परसंद करेंगे ?



तो अपने शहर की सड़कों पर क्यों ?

आओ अपने प्रदेश को बेहतर बनाएं
स्वच्छता अपनाएं

सभ्य नागरिक को कर्तव्य निभाएं अपने शहर को स्वच्छ-सुन्दर बनाएं ।



शहर में गंदगी न फैलाएं,
खुरद समझें औरों को भी समझाएं.

- कचरा हमेशा ऋहदान में डालें
- सड़क, बगीचे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें
- नदी-भोहल्ले, कालिनियों के कोनों पर कचरे का ढेर न लगायें
- साफ-सफाई का स्वयं ध्यान रखें औरों को भी समझाएं



हम हैं स्वच्छता के सजाग प्रहरी- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

आओ मिलकर निभाएं जिम्मेदारी - सुन्दर रहे गुलाबी नगरी हमारी

ध्यान दें-


- अपने घर / प्रतिष्ठान के कूड़े-कचरे को निर्धारित स्थल पर प्रातः 11 बजे तक कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा फैलाने पर प्रतिदिन केरिंग चार्ज लगेगा।
- पालतू जानवरों को सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर ना छोड़ें।
- भवन निर्माण सामग्री/मलबा सार्वजनिक स्थलों पर ना डालें।
- सार्वजनिक सम्पत्तियों पर बैनर, पोस्टर, हेण्डबिल चिपकाकर विरूपण ना करें। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है।
- गली मोहल्ले में टयूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारु रूप से करने में सहयोग करें।




व्यक्तिगत शैतियों को कहे अंतर्बिना प्रयोग करें जूट का थैला कानोज, कपड़े का थैला



कूड़े को कचरा पात्र में डालें




पर्यावरण को सुधारे। एक वृक्ष आवश्यक रूप से लगाए



शहर में गंदगी न फैलाएं,
खुद समझें औरों को भी समझाएं।

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार



राजस्थान सरकार